न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –6/2016 जिला सीकर ।

भानाराम दत्तक पुत्र स्व. श्री जालुराम, जाति बलाई, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्रम सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. हणमान पुत्र श्री गोरू जाति बलाई, निवासी सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)
2. पटवारी हल्का ग्रम सिहोट बडी, तहसील धोद , जिला सीकर (राज.)
3. उप पंजीयक सीकर जिला सीकर (राज.)
4. तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

5. माला उर्फ मन्नाराम पुत्र श्री गोरूराम, जाति बलाई, निवासी सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)
6. रामेश्वर पुत्र स्व. जैसा
7. राम निवास पुत्र स्व. जैसा
   जातियान बलाई, निवासीयान ग्रम सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर (राज.)

प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 9.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री प्रहलाद बागडा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री बी.एस.राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 श्री हर लाल सिंह

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक – 25.4.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 9.6.2015 के खिलाफ धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम सिहोट बडी, तहसील धोद , जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 139, 153, 155, 156, 157, 161, 162, 252, 138 कुल किता 9 रकबा 16.39 एवं खसरा नम्बर 254 रकबा 3.00 में से 1/4 हिस्से की खातेदार कानूडी बेवा जालू थी एवं 1/12 हिस्से का खातेदार जैसा पुत्र गोरू था तथा खसरा नम्बर 154 रकबा 2.98 में से 1/3 हिस्से का खातेदार जैसा पुत्र गोरू था । उक्त खातेदारों के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 709 पटवारी हल्का द्वारा कानूडी बेवा जालू के वारिस नाथू राम पुत्र जालू एवं जैसा के वारिस रामेश्वर, रामनिवास , भंवरी पुत्रों एवं पुत्री के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत की बैठक दिनांक 7.6.2011 में लिये गये प्रस्ताव संख्या 3 में किये ग़ये निर्णय अनुसार कानूडी बेवा जालू के स्वर्गवास हो जाने पर उसके देवर गोरू के पुत्र हणमान को दत्तक पुत्र स्वीकार कर नाथाराम पुत्र जालू के स्थान पर

हणमान दत्तक पुत्र जालू व जैसा के स्थान पर रामेश्वर व रामनिवास के नाम स्वीकार किया गया व पुत्री भंवरी का सहमती पत्र के द्वारा नाम हटाया गया ।

उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण से व्यथित होकर माला उर्फ मन्ना राम पुत्र गोरू, रामेश्वर, रामनिवास पुत्रगण जैसा राम द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 19.12.2012 से नामांतरकरण भरने से पूर्व ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिये जाने एवं ना ही विधिक वारिसान की जॉच किये जाने एवं मौके पर जाकर जमीन का कब्जा नहीं देखने के कारण स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 709 दिनांक 7.6.2011 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सीकर को मृतक कानूडी के विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक कराने की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 19.12.2012 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार धोद, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.2015 पारित कर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उक्त रिमाण्ड नामांतरकरण प्रकरण का अंतिम निस्तारण संभव नहीं होना माना क्योंकि प्रकरण केवल नामांतरकरण दर्ज करने से संबंधित नहीं होकर प्रकरण में हक व अधिकारों की उद्घोषणा व विधि एवं उत्तराधिकार घोषित होने का मिश्रित बिन्दु निहित होने से उनके स्तर से निर्णय किया जाना संभव नहीं होना मानते हुये दोनों पक्षकारान को पाबन्द किया गया कि वे सक्षम न्यायालय से हक एवं अधिकार की उद्घोषणा करवाकर निर्णय की प्रति न्यायालय में पेश करें जिसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया जा सके । तब तक पत्रावली बन्द की गई ।

तहसीलदार धोद, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9.6.2015 के खिलाफ अपीलान्ट भानाराम दत्तक पुत्र स्व. जालू राम द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं तहसीलदार का निर्णय दिनांक 9.6.15 निरस्त किया जाकर कानूडी बेवा जालू के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि की खातेदार कानूडी के पति जालू द्वारा विधिवत रूप से गोद लिया था तथा गोदपत्र उप पंजीयक से पंजीकृत करा दिया था । अपीलान्ट मृतक खातेदार कानूडी बेवा जालू का विधिक वारिस है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार कानूडी की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के नाम नही भरकर कानूडी के देवर गोरू के पुत्र नाथूराम के नाम मनमर्जी से भरा गया तथा ग्रम पंचायत द्वारा हणमान दत्तक पुत्र जालू के नाम स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि हणमान पुत्र गौरू ने अपने पिता गौरू के स्वर्गवास के पश्चात् गौरू की भूमि अपने नाम दर्ज करवा रखी है इसलिये हणमान पुत्र गौरू को कानूडी बेवा जालू की भूमि प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के नाम रजिस्टर्ड गोदनामें को अनदेखा करते हुये गौरू के पुत्र हणमान को जालू का दत्तक पुत्र मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट विधिक रूप से मृतक कानूडी बेवा जालू का विधिक वारिसा होने के बावजूद भी तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रकरण में

अधिकारों की घोषणा एवं उत्तराधिकार घोषित होने का मिश्रित बिन्दु होने से सक्षम न्यायालय से हक एवं अधिकारों की उद्घोषणा कराकर निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने के आदेश पक्षकारों को दिये गये , जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा होने के बावजूद भी अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये व उसे बिना सुने तहसीलदार द्वारा प्रकरण ड्रोप करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा कानूडी बेवा जालू के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि माला उर्फ मन्ना द्वारा सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष माला उर्फ मन्ना बनाम नाथा आदि उनवानी दावा बाबत बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं रिकार्ड संशोधन को विड्रा करने बाबत प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.5.2011को प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.2011 को पक्षकारान में राजीनामा होने से वाद आगे नहीं चलाने के कारण वाद वादि खारिज किया है । उनका कहना था कि राजीनामें मे कानूडी बेवा जालू द्वारा अपने जीवनकाल में हनुमान पिता गोरू को दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करना तथा हनुमान द्वारा ही कानूडी की सेवा देखभाल करने , कानूडी के हिस्से की भूमि कानूडी के जीवनकाल में ही दत्तक पुत्र हनुमान के कब्जे काश्त में रहने बाबत अंकित किया है । उक्त राजीनामें के दृष्टिगत ही ग्रम पंचायत द्वारा दिनांक 7.6.2011 को ग्रम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर कानूडी बेवा जालू की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण हनुमान दत्तक पुत्र जालू के नाम स्वीकार किया है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत सिहोट बडी द्वारा दिनांक 4.6.2011 को एक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें भी कानूडी का दत्तक पुत्र हनुमान को होना अंकित किया है । आधार कार्ड, राशन कार्ड , पास बुक पंजाब नशनल बैंक , अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के विद्युत बिल आदि में हनुमान के पिता का नाम जालू अंकित है । उनका कहना था कि अपीलान्ट भानाराम को गोद लिये जाने का गोदनामा दिनांक 30.8.91 को रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 5.10.91 से निरस्त कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कानूडी बेवा जालू की भूमि में विधिक रूप से कोई हक व अधिकार नहीं बनता है । उपरोक्त विधिक तथ्यों एवं दस्तावेजात को नजरन्दाज करते हुये रेस्पोंडेन्ट हनुमान दत्तक पुत्र जालू के हक में तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण को उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 19.12.2012 द्वारा निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट हणमान दत्तक पुत्र जालू द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष प्रस्तुत दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय ने दिनांक 11.12.2012 को विवादित भूमि का विक्रय या अन्तरण नहीं करने बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य हक व अधिकारों की उद्घोषणा व उत्तराधिकार घोषित होने के बिन्दु निहित होने से तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.15 पारित कर दोनों पक्षकारान को पाबन्द किया गया कि वे सक्षम न्यायालय से हक व अधिकार की उद्घोषणा करवाकर निर्णय की प्रति पेश करें जिसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया जा सके एवं तब तक यह पत्रावली बन्द की गई । उनका कहना था कि पक्षकारों के हक व अधिकार विचाराधीन दावे में तय होगें ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार धोद दिनांक 9.6.15 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार कानूडी बेवा जालू की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्राम पंचायत द्वारा कानूडी बेवा जालू की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 709 दिनांक 7.6.2011 को ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 हणमान दत्तक पुत्र जालू के नाम स्वीकार किया है । दूसरी ओर अपीलान्ट भानाराम के हक में मृतक खातेदार कानूडी द्वारा तहरीर कराये गये पंजीकृत गोदनामा दिनांक 30.8.91 के आधार पर कानूडी बेवा जालू की भूमि का नामांतरकरण अपने नाम कराना चाहता है । उक्त गोदनामा दिनांक 30.8.91 को रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 5.10.91 से कानूडी बेवा जालू द्वारा निरस्त कर दिया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 माला उर्फ मन्नाराम की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 19.12.12 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार सीकर को मृतक कानूडी के विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामांतरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया है , जिसकी अनुपालना में तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.15 पारित कर दोनों पक्षकारान को सक्षम न्यायालय से हक एवं अधिकरों की उद्घोषणा करवाकर निर्णय की प्रति पेश करने हेतु पाबन्द किया है तथा तब तक पत्रावली बन्द की गई है । विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट हणमान दत्तक पुत्र जालू द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष प्रस्तुत दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय ने दिनांक 11.12.2012 को विवादित भूमि का विक्रय या अन्तरण नहीं करने बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार कानूडी बेवा जालू के नाऔलाद फौत होने पर अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट दोनों पक्षकारान दत्तक पुत्र के आधार पर कानूडी की भूमि अपने नाम कराना चाहते हैं । दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टयों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । अपीलान्ट मृतक खातेदार कानूडी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने के लिये स्वतंत्र है । दत्तक पुत्र के सबंध में विभिन्न न्यायालयों ने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं । प्रकरण में हक व अधिकारों की उद्घोषणा संबंधी बिन्दू निहित होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोद ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6.15 द्वारा सक्षम न्यायालय से हक एवं अधिकार की उद्घोषणा करवाकर निर्णय की प्रति पेश करने हेतु दोनों पक्षकारान को पाबन्द किया है तथा तब तक पत्रावली बन्द की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील

अपील न्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर